



माननीय न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म. प्र.

/रिचीजन 16

3219-882-16

बहादुरसिंह पुत्र, पीतमसिंह राजपूत अध्यक्ष क्षेत्रिय राजपूत समाज चाचोडा जिला गुना म. प्र. रिचीजनकर्ता वनाम

म. प्र. शासन पटवारी ग्राम चाचोडा तहसील चाचोडा जिला गुना म. प्र. प्रतिरिचीजनकर्ता रिचीजनपत्र अन्तर्गत धारा 50 मू. रा. सं.

माननीय न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय चाचोडा जिला गुना म. प्र. के प्रकरण सं. क्रमांक 1135/री-1/2016 मे पारित स्थगन आदेश दिनांक 3-9-16 से दुखी होकर यह, पथम रिचीजन अन्दर अधि नियत न्यायशुल्क सहित श्रीमानके श्रवण क्षेत्राधिकारके अन्तर्गत प्रस्तुत हैं।

माननीय महोदय,

1:

अपील का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है।

॥अ॥ यहकि माननीय न्यायालय श्रीमानतहसीलदारमहोदय चाचोडा द्वारा पटवारीग्रामकीरिपोर्ट पर से शासकीयभूमिमानांका 70 रकबा 09084 हे०, नाईयत न. पा. नजूल भूखण्ड पर अपीलार्थी द्वाराकब्जा कर निमार्ण कर रहाहै के आधार मानतेहुये दिनांक 3-9-16 को स्थगनआदेश पारित कियाकि अपीलार्थी तुरन्त निमार्ण बंद कर अतिक्रमण हठाये औरउपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करे। का आदेश जारी किया गया और यह आदेश दिनांक 3-9-16 को जारी किया जिसमे नातोआगामी पेशी दी गयी ना ही आगामी पेशी पत्र उपस्थित होने के लिये तारीख दी गयी और जब यह आदेशअपीलार्थी कोमिला तो अपीलार्थीतत्काल तहसील चाचोडा मे आया तो तहसीलदार साह व न्यायालयमे नहीमिले दूसरे दिन 4-9-16 को रविवार था उस दिन अपीलार्थीतहसील मे आया तो

प्र. क.
 आज दि. 22-9-16
 गजराव मोहल म. प्र.

वेमिस चड्ढी
 20/9/16
 Time: 11:36

[Handwritten signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3219—पीबीआर/16

पहलुर/मिह/ब्राप्प

जिला गुना

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों
अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर एवं

10-11-2016

आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित।
उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक
3-9-16 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया। तहसीलदार
के आदेश से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा न्यायिक आदेश पारित
नहीं किया गया है। अतः प्रकरण तहसीलदार को म0प्र0 भू-राजस्व
संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु भेजा जाता है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(मनोज गोयल)
अध्यक्ष